N.I.C

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 24.10.2007 से प्रारम्भ होने वाले विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ प्रकृति के पुनरीक्षण के अवसर पर नियुक्त किये गये बूथलेबिल आफिसरों द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु घर–घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जायेगा । जिन मतदाताओं द्वारा अभी तक अपना पहचान पत्र बनाने हेतु फोटोग्राफी न कराई गयी हो अथवा जिन्होने पूर्व में फोटोग्राफी कराई हो परन्तु किन्ही कारणों से उनको पहचान–पत्र न प्राप्त हुए हों तथा ऐसे अर्ह मतदाता जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम शामिल न हो वे भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु आवेदन करते हैं तो ऐसे समस्त मतदाता अपना–नवीनतम दो–दो फोटो (पासपोर्ट साइज) बनवाकर अपने पास अभी से सुरक्षित रखलें, जिससे बूथलेबिल आफिसरों द्वारा सत्यापन के दौरान मॉगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करादें जिससे उसकी सहायता से उनकी फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कराई जा सके एंव उसी के आधार पर उनका पहचान–पत्र भी तैयार करवाकर उपलब्ध कराया जा सके ।

(अखिलेश तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सुलतानपुर ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सुलतानपुर ।

पत्रांकः– 15 / निर्वाचन(प्र0पु0)07 दिनांकः–19 अक्टूबर, 2007

प्रतिलिपिः–
1. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने तहसील के अन्तर्गत उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने ब्लाक के अन्तर्गत उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।
3. सहायक निदेशक सूचना, सुलतानपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपद में पढ़े जाने वाले समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी कतरन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करायें ।
4. डिस्पैचर को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें ।
5. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(अखिलेश तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सुलतानपुर ।